राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल/नियुक्ति/13–14 जयपुर, दिनांक 19 SEP 2013

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिये लोकपाल नियोजन हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संशोधित आदेश दिनांक 24.05.2013 में उल्लेखित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंषा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित जिले के लिये, कार्य ग्रहण करने की तिथि से लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

क.म.	लोकपाल का नाम व पता	जन्म तिथि	जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री प्रहलाद कुमार मीणा पुत्र श्री रामनारायण मीणा, निवासी सुबोध सी.सै. स्कुल के पास, झालावाड रोड, बारां ।	20.06.1952	बारां
2	श्री वीरेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिवनारायण सक्सेना, सक्सेना सदन, बड़ा बाजार, सीमेन्ट रोड, झालावाड़।	15.01.1951	झालावाड़
3	श्री विष्णु प्रकाश मित्तल पुत्र स्व. श्री चैनसुख मित्तल, 148, प्रताप नगर, दादाबाड़ी, कोटा 324009।	14.08.1953	कोटा
4	श्री गजेन्द्र सिंह मांझी पुत्र श्री किशोर सिंह, मांझी हाउस, चान्दारूण रोड, डेगाना जं, नागौर।	20.08.1965	नागौर
5	श्री निरंजन प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा, 305, व्हाट प्वाइंट मोदी नगर , अजमेर रोड़, जयपुर।	25.06.1953	टोंक

इन चयनित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित जिलों के लिये लोकपाल पद पर नियुक्ति, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित लोकपाल दिशा–निर्देश दिनांक 24.05.2013 के बिन्दु संख्या 2.2.11 में उल्लेखित समयावधि दो वर्ष के लिये, जो एक वर्ष के प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर एक–एक वर्ष के लिये दो बार और बढाई जा सकेगी अथवा 68 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होगी, के लिये की जाती हैं। आपसे आशा की जाती है कि अपना कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा जारी लोकपाल दिशा–निर्देश के अध्याय तीन के अनुरूप निभायेगे। इन व्यक्तियों की नियुक्ति, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संशोधित लोकपाल दिशा–निर्देश दिनांक 24.05.2013 मे उल्लेखित अन्य शर्तो एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के अध्याधीन होगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संशोधित आदेश दिनांक 24.05.2013 के बिन्दु संख्या 2.2.13 के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंषा पर, असंतोषजनक प्रदर्शन पर लोकपाल को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।

लोकपाल हेतु नियुक्त व्यक्ति अपनी उपस्थिति, आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को देकर अपनी कार्यग्रहण रिर्पोट इस विभाग को भिजवाऐं।

भवदीय

(कुलदीप रांका)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ :—

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, गामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रा.वि. एवं पंरावि।
5. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रा.वि मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
8. निदेशक, जलग्रहण एवं भू—संरक्षण विभाग कृषि भवन, जयपुर राजस्थान।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. संभागीय आयुक्त कोटा व अजमेर।
2. संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस बारां, झालावाड, कोटा, नागौर, एवं टोंक।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां, झालावाड, कोटा, नागौर, एवं टोंक।
4. संबंधित लोकपाल श्री...
5. जन सम्पर्क अधिकारी ईजीएस जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार ईजीएस जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

19/9/13
(एम.डी.मीना)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम),ईजीएस